ADD1 (4/5)

निदेशक

राजस्थान–सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक : प.4(72)वित्त/राजस्व/94–पार्ट जयपुर, दिनांक : 10.4.2012

आदेश

राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 30.3.1995 एवं समसंख्यक आदेश दिनाक 15.4.2010 के द्वारा समस्त कर्मचारियों पर 1 मई, 1995 से लागू की गयी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को पूर्णतया अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। वर्ष 2012–13 के लिए उक्त योजना का नवीनीकरण 1 मई 2012 से किया जाकर इस संबध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के माह अप्रेल देय मई, 2012 के वेतन बिलों से प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 220/– रूपय एव 12.36 प्रतिशत सेवाकर एक मुश्त प्रीमियम राशि काटी जायेगी।

2. वेतन बिलों के माध्यम से प्रीमियम कटौति हेतु समस्त प्रक्रिया इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.4.2006 की भांति रहेगी। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उनके अधीन समस्त कर्मचारियों के वेतन से नवीनीकृत योजना के अन्तर्गत कटौति कर कटौति पत्र वेतन बिलों के साथ संलग्न कर कोष कार्यालय को प्रस्तुत करेगें। प्रस्ताव पत्र केवल प्रथम बार योजना के अन्तर्गत कटौती होने पर अथवा पूर्व में प्रस्ताव भरने के उपरान्त स्थानान्तरण होने की स्थिति मे ही भरा जावे, अन्यथा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनाक 19.4.2006 के क्रम में वर्ष 2006 के लिए भरा गया प्रस्ताव पत्र ही इस वर्ष के लिए मान्य होगा। यदि कर्मचारी अपने मनोनीत व्यक्ति में परिवर्तन करना चाहता है तो निर्देश पुस्तिका के अन्त में दिये गये प्रपत्र में संशोधित नाम का प्रस्ताव कर सकता है।

3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि किसी भी राज्य कर्मचारी के माह अप्रेल, 2012 के वेतन बिल को तैयार करते समय इस नवीनीकृत योजना से संबंधित कर्मचारी की प्रविष्टी हेतु आवश्यक प्रीमियम कटौती कर ली गई है। जिन कर्मचारियों का वेतन 1 मई, 2012 को आहरित नहीं किया जा रहा है, वे निजी स्तर से रूपये 220/–एवं 12.36 प्रतिशत सेवाकर का डी.डी. (डिमाण्ड ड्राफ्ट) निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के नाम से बनवाकर 10.5.2012 से पूर्व विभाग को भेजे। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे।

4. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी/कर्मचारियों, जिनके प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उन पर यह योजना लागू नहीं होगी। यह योजना वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प.12(6)वित्त/नियम/05 दिनाक 13.3.2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोवेशनर–ट्रेनिज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी। अतः ऐसे सभी कर्मचारियों से परिशिष्ठ–क फार्म अवश्यमेव भरवाकर उनके अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम की कटौती की जावे।

5. वर्ष 2012–13 की पॉलिसी की अवधि 1.5.2012 से 30.4.2013 तक होगी एवं प्रीमियम की राशि 220/– रूपये + 12.36 प्रतिशत सेवाकर प्रति कार्मिक होगी।

6. दिनांक 1.5.2012 के पश्चात् नवनियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2012 13 के लिए देय प्रीमियम की राशि 220/– रूपये + 12.36 प्रतिशत सेवाकर एक मुश्त आई.आर.डी.ए के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर काटी जायेगी एवं कर्मचारियों से परिशिष्ट क अवश्य भरवाया जावेगा। इस संबंध में निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र पृथक से जारी कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

(एस.एन.खण्डेलवाल)
विशेषाधिकारी,
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय बीमा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
9. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
10. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी।
11. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी,